



महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली  
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक: रू.वि./कु.स./प्रति./2017/196

दिनांक:-10.10.2017

**:-अधिसूचना:-**

भारत सरकार के राजपत्र पार्ट-3, खण्ड 4 संख्या 171 दिनांक 2 मई, 2016 द्वारा जारी अधिसूचना जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015 के पृष्ठ 6 कालम 4 शिकायत समाधान तन्त्र द्वारा निम्नानुसार समिति की व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुक्रम में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 10.10.2017 के द्वारा निम्नवत् एक समिति का गठन किया जाता है:-

1. पीठासीन अधिकारी(1 वरिष्ठतम महिला आचार्य) प्रो० नीलिमा गुप्ता
2. संकाय के सदस्य(2 सदस्य) डॉ० अशोक कुमार  
डॉ० अनीता त्यागी
3. गैर अध्यापक कर्मचारी(-2सदस्य) श्रीमती सुमन सिंह  
श्री मानव शुक्ला
4. यदि छात्र से सम्बन्धित (3-सदस्य जोकि पारदर्शी लोकतान्त्रिक प्रणाली द्वारा चुने गये छात्र)  
स्नातक स्तर पर-सुश्री आशु, बी०टेक०  
परास्नातक स्तर पर-सुश्री पूनम रावत, एम०एड०  
शोध स्तर पर-श्री रवि, शिक्षा
5. गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि(1 सदस्य) डॉ० रजनी अग्रवाल

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही/सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

1. समिति के समस्त सदस्यगण।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. उप कुलसचिव, प्रशासन।
5. वित्त अधिकारी।
6. समस्त वार्डन, छात्रावास, विश्वविद्यालय परिसर।
7. चीफ प्रॉक्टर, विश्वविद्यालय परिसर।
8. चीफ वार्डन, विश्वविद्यालय परिसर।
9. निजी सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
10. विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड
11. प्रभारी वेबसाइट, विश्वविद्यालय परिसर।

कुलसचिव